



RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED

[Corporate Identity Number (CIN): L40109RJ2000SGC016485]

(An ISO 9001:2015 Certified Company)

Regd. Office: Vidyut Bhawan, Janpath, Jyoti Nagar, Jaipur-302005

OFFICE OF THE JOINT DIRECTOR PERSONNEL, JAIPUR

Telephone No. 0141-2740381 (Ext.1204) E-mail: jdp.rvpn@rvpn.co.in

website: [www.http://www.energy.rajasthan.gov.in/rvpn/](http://www.energy.rajasthan.gov.in/rvpn/)

No. RVPN/Karmik/F.1(A)24/D. 178

Jaipur, dated 19/6/2020

MAIL


Chief Engineer/ Addl. Chief Engineer (),
Chief Controller of Accounts,
Superintending Engineer (),
RVPN,

Sub:- Regarding contractual, casual or outsourced persons working in your office.

While enclosing herewith the Circular No. F. 1(08) Urja / 2020 dated 12.06.2020 of Assistant Secretary, Energy Department, Government of Rajasthan, you are requested to kindly send the information of contractual / casual / outsourced persons, working under your jurisdiction, who were directed not to attend office or remained absent during the lockdown period, along with financial implication for the period of their absence.


Kindly send the desired information within 03 days, so that position may be apprised to the Energy Department, GoR.

Encl:-As above.


(Amitabh Gupta)
Chief Personnel Officer
19/6/20

Copy to the following for information and necessary action:

1. RCAO / CAO (), RVPN, Jaipur.
2. JS / DS/ AS (GAD/Estt-I/II/III), RVPN, Jaipur: *for similar action,*
3. DDP / PO (T&C), RVPN, _____
3. AO (Estt-Cont), RVPN, Jaipur.


(Rameshwar Ahari)
Jt. Director Personnel

क्रमांक: प. 1(08)ऊर्जा/2020

जयपुर, दिनांक

12 JUN 2020

Secy/M

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण/उत्पादन निगम लि0, जयपुर।
प्रबन्ध निदेशक,
जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि0,
जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
प्रबन्ध निदेशक,
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लि0, जयपुर।
प्रबन्ध निदेशक,
ऊर्जा विकास निगम लि0, जयपुर।
वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक,
विद्युत निरीक्षणालय, जयपुर।
सचिव,
विद्युत विनियामक आयोग, जयपुर।

5151
PS/CMD/TR No. 5451
Dated... 12/06/2020

SECRETARY (Admn) RRVPNL
/ No 915 Dt. 16/6/20

R. R. No. CPO/RV/PN/ 434
Dated..... 12/6/20

विषय:- लोकडाउन के दौरान संविदा कार्मिकों की अनुपस्थिति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग से प्राप्त अशा. टीप सं.प. 1(4)वित्त/नियम/2011 की प्रति संलग्न कर लेख है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा Covid-19 को महामारी घोषित किये जाने पर कोरोना संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षा को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा लोकडाउन में अनेक प्रतिबन्धात्मक उपायों में राजकीय/अर्द्ध राजकीय विभागों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, राजकीय निगमों/मण्डलों में आंशिक शटडाउन के दृष्टिगत विभिन्न कार्मिकों को कार्यालय में उपस्थित होने से रोका गया है। उक्त कार्यवाही में Contractual, Casual, एवं Outsourced Persons को भी कार्यालय में उपस्थित होने से रोका गया था।

अतः कृपया वित्त (नियम) विभाग द्वारा चाहे अनुसार आपके अधीनस्थ कार्यालयों में उपस्थित होने से रोके गये Contractual, Casual, एवं Outsourced Persons की संख्या, उनकी अनुपस्थिति एवं अनुपस्थिति अवधि के पारिश्रमिक/वेतन भुगतान पर आने वाले वित्तीय भार की सूचना अविलम्ब सीधे ही वित्त (नियम) विभाग को भिजवाते हुए इस विभाग को भी उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

भवदीय,

रजिन्द्र

(आर.के.शर्मा)
सहायक शासन सचिव

JDP
PO(W)/PO(T)
संलग्न : उपरोक्तानुसार
17/6
C.P.O.

PO (M)/T

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

2544

28/5/20

विषय :- लोकडाउन के दौरान संविदा कार्मिकों की अनुपस्थिति के संबंध में।

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) को महामारी घोषित किये जाने पर कोरोना संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षा को दृष्टिगत रखते हुये राजस्थान सरकार द्वारा लोकडाउन में अनेक प्रतिबन्धात्मक उपाय में राजकीय/अर्द्ध राजकीय विभागों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, राजकीय निगमों, मण्डलों में आंशिक शटडाउन के दृष्टिगत विभिन्न कार्मिकों को कार्यालय में उपस्थित होने से रोका गया है। उक्त कार्यवाही में Contractual, Casual, एवं Outsourced Persons को भी कार्यालय में उपस्थित होने से रोका गया था।

अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि आपके विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में उपस्थित होने से रोके गये Contractual, Casual, एवं Outsourced Persons की संख्या, उनकी अनुपस्थिति एवं अनुपस्थिति अवधि के पारिश्रमिक/वेतन भुगतान पर आने वाले वित्तीय भार की सूचना अविलम्ब उपलब्ध कराने का श्रम करावें।



(सुरेश कुमार वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव-1

समस्त
अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/ ~~उत्पाद~~ विभाग
शासन सचिव

अशा.टीप.सं.प. 1(4) वित्त/नियम/2011

जयपुर दिनांक : 18 MAY 2020